भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 795
दिनांक 07 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

डायन बताकर महिलाओं को मार देने के मामले

795. **डॉ. रानी श्रीकुमारः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को सम्पूर्ण देश में डायन बताकर महिलाओं को मार देने की घटनाओं में वृद्धि की जानकारी है और यदि हां, तो इससे निपटने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ख) सम्पूर्ण देश में डायन बताकर महिलाओं को जान से मारने की घटना को रोकने के लिए कैसी संस्थागत सहायता की गई है तथा उक्त सहायता प्राप्त लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) डायन बताकर पीड़ित की जा रही महिलाओं के लिए चलाए जा रहे पुनर्वास कार्यक्रमों और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा उनके अंतर्गत लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने लोगों को डायन बताकर पीड़ित की जा रही महिलाओं संबंधी प्रवृति के सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं और इसके कारण हो रही व्यवस्थित हिंसा के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए कोई पहल की है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ड.): डायन बताकर महिलाओं को मार देने की प्रथा से जुड़े लिंग आधारित हिंसा और यौन उत्पीड़न सहित महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, यातना, हत्या और अन्य

अपराध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के अध्याय-V के तहत पहले से ही दंडनीय हैं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत "पुलिस" और "सार्वजनिक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, डायन बताकर महिलाओं को मार देने और हिंसा के संबंधित रूप सहित महिलाओं के विरुद्ध अपराध की जांच और अभियोजन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। वे कानून के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए देश में केन्द्र प्रायोजित योजना 'मिशन शक्ति' का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य देखभाल और सहायता की आवश्यकता वाली महिलाओं के लिए कार्यकलाप को सुदृढ़ करना है। इसमें महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा तथा महिला सशक्तीकरण के लिए क्रमशः दो उप-योजनाएं 'संबल' और 'सामर्थ्य' शामिल हैं। "संबल" घटक महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए है । जिला स्तर पर इसका प्रमुख घटक अर्थात वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) एक संस्था है जो संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, चिकित्सा और पुलिस सहायता, परामर्श और कानूनी सहायता जैसी तत्काल मदद प्रदान करती है । महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) 181 सहायता और जानकारी प्राप्त करने की इच्छुक महिलाओं को 24 घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवा प्रदान करती है। "सामर्थ्य" घटक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। "सामर्थ्य" का शक्ति सदन घटक निराश्रित महिलाओं और कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं को आश्रय, भोजन, व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित आवश्यक सहायता प्रदान करता है। संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के संबंध में सूचना और ज्ञान के अंतर को भरने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) जैसी पहल, जो आपात स्थिति के लिए अखिल भारतीय एकल नंबर (112) / मोबाइल ऐप आधारित प्रणाली है, निर्भया कोष के तहत पुलिस स्टेशनों पर महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) की स्थापना / सुदृढ़ीकरण भी उपलब्ध हैं, ताकि डायन बताकर महिलाओं को मार देने सहित किसी भी प्रकार की हिंसा या उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं की सहायता की जा सके।

हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श की आवश्यकता को समझते हुए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ऐसी महिलाओं की मनोवैज्ञानिक-सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश भर के वन स्टॉप सेंटरों (ओएससी) के कर्मचारियों को "स्त्री मनोरंजन" नामक परियोजना के अंतर्गत बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस) की सेवाएं ली हैं। मंत्रालय समय-समय पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाता है।

सरकार और राष्ट्रीय महिला आयोग जैसे इसके संबद्ध संगठन भी महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों पर जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाते हैं तथा सेमिनार, कार्यशालाएं आदि आयोजित करते हैं।

*****